ग्राम पंचायत ढेलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक
भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ढेलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती सपना देवी	01.03.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री मंगत राम	01.03.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ढेलू के लेखाओं अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	23.54
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	2.43
5	6(ङ)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना	0.07

6	8	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.15
7	9(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.06

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** पर दर्शाई गई है ।:-

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत ढेलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25-06-2024 से 01-07-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	**11/22**	**05/22**
2023-24	**02/24**	**06/23**

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत ढेलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु

अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-368 दिनांक 01.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत ढेलू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान :- ग्राम पंचायत ढेलू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	693006.37	407516	1100522.37	576268	524254.37
2023-24	524254.37	477638	1001892.37	726759	275133.37

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **275133.37**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	**Account no.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2024 (₹)**
H.P State cooperative bank,Chountra	30510104610	Own source & other grants	275133.37
HDFC Bank Joginder Nagar	50100071762933	14th FC	0

बैंक समाधान विवरणी		
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष		275133.37
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	275133.37
	अन्तर की राशि	**Nill**

(ii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत ढेलू के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1850880	1978292	3829172	1976635	1852537
2023-24	1852537	1011588	2864125	785537	2078588

Bank Reconicilation as on 31 03-2024		
Balance as per cash book	2078588	
add:- interest of Rs 13877 taken in pass book as on 01.04.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 13751 taken in pass book as on 01.07.2022 but not taken in cash book,interst of Rs 13136 taken in pass book as on 01.10.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 12903 taken in pass book as on 01.01.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 12853 taken in pass book as on 01.04.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 14619 taken in pass book as on 01.07.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 14900 taken in pass book as on 01.10.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 18348 taken in pass book as on 01.01.2024 but not taken in cash book	114387	**2192975**
Balance as per Pass book		**2192975**
Net Difference		**nill**

(iii) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	2672266	0	2672266	2672266	0
2023-24	0	1283426	0	1283426	1283426	0

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिए अलग बैंक खाते का संचालन न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत ढेलु के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹23.54 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत ढेलु द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹23,53,721.37 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i), 4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत ढेलु द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹2.43 लाख की वसूली न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत ढेलु के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹ 243405** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 0.02 लाख की वसूली न करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत ढेलु द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹ 1800** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	135921	श्री मुकेश सुपुत्र श्री नानक चंद	08.12.22	13.01.23	400	200	200
2	135929	श्री अमित कुमार सुपुत्र श्री दया राम	01.10.22	28.12.22	400	200	200
3	प्रस्तुत नही किया गया	नेहा सुपुत्री श्री जगदीश चंद	20.06.22	12.07.22	200	शून्य	200
4	प्रस्तुत नही किया गया	सुरेन्द्र सुपुत्र श्री सुभाष	24.06.22	12.07.22	200	शून्य	200
5	प्रस्तुत नही किया गया	सोनाली सुपुत्री श्री बिहारी लाल	23.06.22	18.07.22	200	शून्य	200
6	प्रस्तुत नही किया गया	शुभाम कुमार सुपुत्र श्री राजू	14.01.22	19.07.22	400	शून्य	400
7	प्रस्तुत नही किया गया	अजय कुमार सुपुत्र श्री दौलत राम	06.07.22	25.07.22	200	शून्य	200
9	प्रस्तुत नही किया गया	अक्षय कुमार सुपुत्र श्री देश राज	27.09.22	20.10.22	200	शून्य	200
कुल योग							**1800**

सचिव ग्राम पंचायत ढेलु को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-359 दिनांक 26.06.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नही दोहराया नही जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(ङ) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना राशि ₹0.07 लाख

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम

से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा। सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्रसं.PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारीयों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत ढेलु, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सुचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान रूपए 7200/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2022-23	5400
2.	2023-24	1800
	कुल जोड़	7200

उक्त धनराशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2024) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था। जो की उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-360 दिनांक 26.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढेलु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत ढेलु, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में किसी भी स्थायी सम्पत्तियों को दर्ज नहीं किया गया था इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों

को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 44 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पत्तियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-361 दिनांक 26.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढेलु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशानिर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8. **आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 0.15 लाख का अधिक भुगतान करना :-**

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री रैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 14499 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विवरण **परिशिष्ट (ङ) में सलग्न है।**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-363 दिनांक 27.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढेलु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल

कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.06 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹105609 की निर्माण से समाबंधित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	बिल संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	दर्ज नहीं	0092/01.12.21	मनरेगा	शर्मा हार्डवेर स्टोर सिनेमा रोड जोगिंदरनगर	सरिया	66333
2	दर्ज नहीं	0097/02.12.21	मनरेगा	शर्मा हार्डवेर स्टोर सिनेमा रोड जोगिंदरनगर	एंगल & वाइर	37121
3	XVFC/2023-24/P/20 dated 15.06.2023	3093/22.02.2023	15वां वित्त आयोग	आर टेक वर्ल्ड ढेलू तहसील जोगिंदरनगर जिला मंडी	हार्डवेर आइटम	2155
	कुल					**105609**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-364 दिनांक 29.06.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत ढेलु के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा। उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा

इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्विन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत ढेलु, विकास खण्ड चौंतड़ा जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्नं तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	181	15	166	816	331	331	10380	1	119358	108978
2023-24	146	27	119	903	257	257	5892	3	87666	81774

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल

आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्विन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या%डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-365 दिनांक 28.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढेलु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्विन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹01.51 लाख कम व सामान पर राशि ₹01.51 लाख ज्यादा व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹ 15.81 लाख की जगह ₹ 17.32 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 01.51 लाख ज्यादा व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹ 23.73 लाख की जगह ₹ 22.22 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 01.51 लाख कम किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2022-23	26.72	11.6	16.03	15.12	10.68
2023-24	12.83	10.62	7.7	2.2	5.13
कुल	**39.55**	**22.22**	**23.73**	**17.32**	**15.81**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-364 दिनांक 27.06.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत ढेलु के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 01.51 ज्यादा व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 01.51 लाख कम व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(घ) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्टरोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत ढेलु, विकास खण्ड चौंतड़ा जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहत की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था । अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-367 दिनांक 29.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढेलु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ङ) निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।

ग्राम पंचायत ढेलु के अवधि 01-04-22 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि व सामान्य निधि के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि मनरेगा व सामान्य निधि के चयनित माह 05/22 व 06/23 में मजदूरी मस्ट्रोलों के भुगतान का भुगतान किया गया था । जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था ।अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जाए । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या %डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-369 दिनांक 01.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढेलु के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मानरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों की माप पुस्तिका तकनीकी सहायक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी थी ,तकनीकी सहायक को माप पुस्तिका प्रस्तुत करने को कहा गया था परंतु तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अब आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत करवा दिया जाएगा व लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 02.9.24
सहायक निदेशक
05 SEP 2024 हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

4429 – 4433 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 101/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ढेलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 02.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति0

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार
(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	
1	पैरा-3	**निर्णीत**	पैरा संख्या 3 के तहत अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के अंतर्गत अंकेक्षण शुल्क 7000 बनता था,जिसे ड्राफ्ट संख्या 598119 दिनांक 27.06.2024 के माध्यम से विभाग में जमा करवा दिया गया है ।
2	पैरा-4.1	पुनः प्रारूपित	
3	पैरा-5 (क)	पुनः प्रारूपित	
4	पैरा-5 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा-6	पुनः प्रारूपित	
6	पैरा-7	अनिर्णीत	
7	पैरा-8	निर्णीत	ग्राम पंचायत ढेलु द्वारा मजदूरी का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी अंकेक्षण वसूली को रसीद संख्या 184900 दिनांक 07.09.2022 के तहत पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया है ।
8	पैरा-9	अनिर्णीत	
9	पैरा-10	निर्णीत	अंकेक्षण की दिशानिर्देश के तहत ग्राम पंचायत ढेलु द्वारा क्रय सामाग्री की स्टॉक प्रविष्टि नियमानुसार भंडार रजिस्टर में कर दी गयी है जिसका उल्लेख मुद्रण स्टॉक रजिस्टर पृस्थ संख्या 36,37,38,39 व 40 में दर्ज किया गया है जिसकी छायावृति अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी गयी है ।
10	पैरा-11	निर्णीत	ग्राम पंचायत ढेलु द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन पर अधिक भुगतान किया गया था जिसकी अंकेक्षण वसूली को रसीद संख्या 184899 दिनांक 07.09.2022 के तहत पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया है ।
11	पैरा-12	अनिर्णीत	
12	पैरा-13	अनिर्णीत	
13	पैरा-14	अनिर्णीत	
14	पैरा-15	अनिर्णीत	
15	पैरा-16	अनिर्णीत	
16	पैरा-17	अनिर्णीत	
17	पैरा-18	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	17
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	9
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	7
अवधि 01.04.19 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	19

पैरा संख्या – 4 (i)
परिशिष्ट (ग)

Financial position of own source & all other grants in aid of Gram Panchyat Dhelu					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	693006.37	407516	1100522.37	576268	524254.37
2023-24	524254.37	477638	1001892.37	726759	275133.37

पैरा संख्या-4(ii)
परिशिष्ठ-(ग)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat tikari Dhelu					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1850880	1978292	3829172	1976635	1852537
2023-24	1852537	1011588	2864125	785537	2078588

Bank Reconicilation as on 31 03-2024			
Balance as per cash book	2078588		
add:- interest of Rs 13877 taken in pass book as on 01.04.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 13751 taken in pass book as on 01.07.2022 but not taken in cash book,interst of Rs 13136 taken in pass book as on 01.10.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 12903 taken in pass book as on 01.01.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 12853 taken in pass book as on 01.04.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 14619 taken in pass book as on 01.07.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 14900 taken in pass book as on 01.10.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 18348 taken in pass book as on 01.01.2024 but not taken in cash book	114387		2192975
Balance as per Pass book			2192975
Net Difference			nill

पैरा संख्या – 6(क)
परिशिष्ठ –(घ)

House Tax detail of Gram Panchayat Dhelu:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	पिछला शेष	गृह कर की दर	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशी	कुल वसूली योग्य राशी	वसूल की गयी राशी	बकाया गृह कर की राशी
2022-23	1282	127625	50	64100	191725	12570	179155
2023-24	1287	179155	50	64350	243505	100	243405

पैरा संख्या - 8
परिशिष्ठ -(ड़)

(26)

Detail of Royalty :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या/ दिनाँक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मिट्रीक टन)	रॉयल्टी (प्रति मिट्रीक टन)	राशि
	15वां वित्त आयोग									
1	भगवान दास सरकारी ठेकेदार गाँव ढेलू डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	044/22.04.22	रेत	12400	200	5.66	1.62	9.17	80	734
2	भगवान दास सरकारी ठेकेदार गाँव ढेलू डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	048/24.04.22	रेत	12400	200	5.66	1.62	9.17	80	734
	मनरेगा									
3	सुदेर्शन गाँव योरा डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	050/16.03.22	बोल्डर	9972.18	313	8.86	2.24	19.84	80	1587
4	सुदेर्शन गाँव योरा डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	051/26.03.22	बोल्डर	7773.84	244	6.91	2.24	15.47	80	1237
5	सुदेर्शन गाँव योरा डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	052/26.03.22	बोल्डर	4038	127	3.59	2.24	8.05	80	644
6	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	138/06.09.21	क्रेशर	19002	550	15.57	1.52	23.66	60	1420
7	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	138/06.09.21	रेत	1548	360	10.19	1.62	16.50	60	990
8	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	139/08.09.21	क्रेशर	17620	510	14.43	1.52	21.94	60	1316
9	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	139/08.09.21	रेत	8600	200	5.66	1.62	9.17	60	550
10	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	164/01.12.21	क्रेशर	9674	280	7.92	1.52	12.04	60	723
11	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग	164/01.12.21	रेत	9030	210	5.94	1.62	9.63	60	578

	तहसील जोगिंदरनगर									
12	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	163/22.11.21	क्रेशर	4837	140	3.96	1.52	6.02	60	361
13	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	141/12.09.21	क्रेशर	6910	200	5.66	1.52	8.60	60	516
14	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	141/12.09.21	रेत	8600	200	5.66	1.62	9.17	60	550
15	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	159/22.01.22	क्रेशर	6910	200	5.66	1.52	8.60	60	516
16	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	159/22.01.22	रेत	8600	200	5.66	1.62	9.17	60	550
17	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	143/16.09.21	क्रेशर	6910	200	5.66	1.52	8.60	60	516
18	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	143/16.09.21	रेत	8600	200	5.66	1.62	9.17	60	550
19	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	142/14.09.21	क्रेशर	2164	80	2.26	1.52	3.44	60	206
20	बद्रि कुमार गाँव व डाकघर दोहाग तहसील जोगिंदरनगर	142/14.09.21	रेत	3440	80	2.26	1.62	3.67	60	220
	कुल योग									14499